दूरभाष संख्या / 220228.
Telephone No. 220228

पत्रांक / Letter No. 237 / छावनी कर / 139,
कार्यालय छावनी परिषद, रानीखेत।
Office of the Cantonment Board, Ranikhet.
दिनांक / Dated 17 जुलाई / July,2018.

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि छावनी परिषद, रानीखेत द्वारा छावनी क्षेत्रान्तर्गत निम्न दुकानों के लीज ''जैसा है जहां है'' के आधार पर मासिक किराये की निविदा के माध्यम से वर्तमान में प्रथम 03 वर्ष हेतु किया जाना है। इन दुकानों के निस्तारण से सम्बन्धित मुहरबन्द निविदाऐं दिनांक 31–07–2018 को सायं 03:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है :–

क्रम संख्या	स्थल का विवरण	संख्या	दुकान की नाप (कारपेट एरिया)	विवरण
1	बड़ी सब्जी मण्डी के पीछे मीट, चिकन मार्केट के ऊपर।	01	125 वर्ग फुट।	सामान्य
2	पूर्व कालिका चुंगी चौकी	01	882.50 वर्ग फुट।	सामान्य
3	बहुउद्देशीय हॉल का भूतल	01	586.52 वर्ग फुट	सामान्य (मात्र कैफेटेरिया हेतु)

नियम व शर्ते

1. इच्छुक निविदादाताओं को निविदा प्रस्तुत करने के लिए मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी परिषद को एक निर्धारित प्रपत्र, जो इस कार्यालय में ` 1,000/– (वस्तु एवं सेवाकर अतिरिक्त) के भुगतान पर उपलब्ध है, में अग्रिम धनराशि ` 50,000/– जमा (बैंक ड्राफ्ट, जो मुख्य अधिशासी अधिकारी के नाम बन्धक हो)/नकद जमा करने हेतु अनुमति लेनी होगी। केवल वे व्यक्ति ही निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं जिनके द्वारा अग्रिम धनराशि जमा की गयी हो। उक्त आवेदन प्रपत्र छावनी परिषद कार्यालय से भुगतान पर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 29–07–2018 से दिनांक 31–07–2018 तक अपरान्ह 01 बजे तक प्राप्त किए जा सकते हैं।
2. सफल निविदादाता के अलावा सभी निविदादाताओं की अग्रिम धनराशि निविदा प्रक्रिया समाप्त होने पर लौटा दी जायेगी एवं सफल निविदादाता की अग्रिम धनराशि जमानत में समायोजित कर ली जायेगी ।
3. सफल निविदादाता को जमानत राशि (सम्पूर्ण अवधि की धनराशि का 20%) निविदा स्वीकृत होने के 15 दिवस भीतर कार्यालय में जमा करनी होगी।
4. निविदा मासिक/वार्षिक किराये के लिए प्रेषित की जानी है।
5. लीज की अवधि सफल निविदादाता को दुकान का कब्जा सौंपने की तिथि से 03 वर्ष तक वैध होगी। यदि उक्त अवधि समाप्त होने के बाद भी लाइसैन्सी सम्बन्धित दुकान की लीज पुनः चाहता है तो निर्धारित अवधि समाप्त होने के 03 माह पूर्व छावनी परिषद कार्यालय में लाइसैन्स नवीनीकरण हेतु आवेदन करेगा। लाइसैंसी के आवेदन पर छावनी परिषद चाहे तो उक्त दुकान के तत्कालीन मासिक किराये में परिषद द्वारा संस्तुत दर पर वृद्धि कर दुकान पुनः परिषद द्वारा निर्धारित अवधि तक आवेदनकर्ता को दे सकती है, अथवा दुकान का निस्तारण पुनः निविदाऐं आमंत्रित कर किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में परिषद द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा।
6. लाइसैंस शुल्क के अतिरिक्त जलकर, अपमार्जनकर, व्यवसाय कर तथा अन्य अनुमन्य कर भी नियमानुसार देय होंगे।
7. सफल निविदादाता द्वारा दुकान के किराये की धनराशि निर्धारित अवधि के भीतर कार्यालय में भुगतान करना होगा। यदि लाइसैन्सी द्वारा उक्त अवधि में भी भुगतान नहीं किया गया तो दुकान का कब्जा छावनी परिषद द्वारा लेकर जमानत राशि जब्त की जा सकती है।

8. ऐसे व्यक्ति जिन पर छावनी परिषद का कोई कर अथवा देयक शेष हैं, निविदा में भाग नहीं ले सकते हैं। अतः इच्छुक निविदादाता छावनी परिषद के सभी करों या देयकों का भुगतान निविदा की तिथि से पूर्व छावनी परिषद को करना सुनिश्चित कर दें एवं छावनी परिषद के राजस्व अनुभाग से इससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

9. सफल निविदादाता को कब्जा ग्रहण करने से पूर्व छावनी परिषद के साथ निर्धारित शर्तों के अनुसार अनुबन्ध अपने व्यय पर करना होगा।

10. निविदा को स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार छावनी परिषद को होगा एवं उसे यह अधिकार भी सुरक्षित होगा कि वह बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत कर सकती है।

11. लाइसैंस धारक को दुकान में चलाये जाने वाले व्यवसाय का परिषद से लाइसैंस प्राप्त करना होगा। उसके अतिरिक्त कोई भी व्यवसाय दुकान में नहीं किया जायेगा।

12. यदि दुकान में आवश्यक मरम्मत आदि की जरूरत होती है, तो परिषद की पूर्व अनुमति लेकर ही दुकान में आवश्यक मरम्मत आदि का कार्य किया जा सकता है।

13. अनुबन्ध की शर्तों का पालन न करने पर लाइसैंस निरस्त कर दुकान का कब्जा परिषद द्वारा लिया जा सकता है।

14. लाइसैंस धारक यदि दुकान को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित करता है तो दुकान हस्तान्तरण करने से 03 माह पूर्व इसकी अनुमति छावनी परिषद से लेनी अनिवार्य होगी। छावनी परिषद इस सम्बन्ध में पूर्व निर्धारित शुल्क जमा करवाकर अनुमति दे सकती है।

15. यदि लाइसैंसधारक दुकान का कब्जा लाइसैंस अवधि की वैधता के भीतर अपनी स्वेच्छा से छावनी परिषद को सौंपना चाहता है तो तत्सम्बन्धित सूचना दुकान छोड़ने के 03 माह पूर्व परिषद को प्रेषित करनी होगी।

16. दुकान में विद्युतीकरण लाइसैंसधारक द्वारा अपने व्यय पर करवाना होगा जिसके लिए परिषद से अनापत्ति प्रमाण पर निर्गत किया जायेगा एवं विद्युत देयकों का भुगतान लाइसैन्सधारक द्वारा सीधे उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 को करना होगा।

17. केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी करों का भुगतान लाइसैन्सधारक को नियमानुसार करना होगा।

18. उपरोक्त तालिका के कम संख्या 03 मे अंकित दुकान का उपयोग मात्र कैफेटेरिया हेतु किया जा सकता है। सफल निविदादाता को अपने व्यय पर दुकान के बाहर आकर्षक बेंच एवं गार्डन अम्बरेला आदि स्थापित करनी होंगी।

19. दुकानों का कब्जा सभी औपचारिकताओं की पूर्ति के उपरान्त ही दिया जाना सम्भव होगा।

20. उपरोक्त सभी शर्तें अनुबन्ध का भाग मानी जायेंगी।

विस्तृत जानकारी के लिए किसी भी कार्यदिवस के दिन छावनी कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

Sd/-xxx
(ज्योति कपूर, आई0डी0ई0एस0)
मुख्य अधिशासी अधिकारी,
Chief Executive Officer,
छावनी परिषद, रानीखेत।
Cantonment Board, Ranikhet.